अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette
सत्यमेव जयते
असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
Published by Authority
सं. 71, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 28 जून, 2023
No. 71, Port Blair, Wednesday, June 28, 2023

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN AND NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय/**SECRETARIAT**

******

NOTIFICATION

Port Blair dated the 28th June, 2023.

No.71/2023/F.No.3-1(18)/2021-Power .— Whereas, Section 14 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) confers the status of a Deemed Licensee upon the Andaman and Nicobar Administration;

AND, WHEREAS, Section 42 (5) of the Electricity Act, 2003 provide that every distribution licensee shall, establish a Forum for Redressal of Grievances of the consumers in accordance with the guidelines as may be specified by the State Commission;

AND, WHEREAS, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories has notified regulations called the Joint Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2019 vide Notification No. JERC-26/2019, in the Gazette of India dated 11th Sept, 2019.

NOW, THEREFORE, in compliance of provisions of the Electricity Act, 2003 read with Regulation 5 of the JERC Regulation No. JERC-26/2019, as detailed above, the Lieutenant Governor, Andaman and Nicobar Islands is pleased to constitute a Forum consisting of the following for Redressal of Grievances of the Consumer of Electricity in the area of Andaman and Nicobar Islands :

1.	Shri R. Ravichandar	- Chairman
2.	Shri Narayan Chandra Baroi	- Member
3.	Smti. Biji Thomas	- Independent Member

All other terms and conditions of appointment of Members to the said Forum including their tenure; pay allowances, removal from office etc., as well as powers, duties and discharge of functions of the Forum shall be regulated by the provisions of the Joint Electricity Regulatory Commission (Establishment of Forum for Redressal of Grievances of Consumers) Regulations, 2019, as amended from time to time.

The Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) constituted for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Admiral D.K. Joshi
PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM (Retd.)
Lieutenant Governor,
Andaman and Nicobar Islands.

By order and in the name of the Lt. Governor,

Sd./-
(R. Anjani Rao)
Assistant Secretary (Power),
Andaman and Nicobar Administration.

MGPPB—71/Gazette/2023 — 40 Copies. (P/DTP)

अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र
Andaman And Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 71, पोर्ट ब्लेयर, बुधवार, 28 जून, 2023

No. 71, Port Blair, Wednesday, June 28, 2023

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 28 जून, 2023।

संख्या 71/2023/फा. सं. 3–1(18)/2021–ऊर्जा.– चूँकि, विद्युत अधिनियम, (2003 की अधिनियम सं. 36) 2003 की धारा 14 अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को डीम्ड लाईसेंसधारी का दर्जा प्रदान करता है।

और, चूँकि, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(5) यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक वितरण लाईसेंसधारी राज्य आयोग द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक फोरम स्थापित करेगा ।

और, चूँकि, गोवा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना संख्या जे.ई.आर.सी.–26/2019 के माध्यम से संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना) विनियम, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ।

अब, इसलिए, विद्युत अधिनियम, 2003 के साथ पठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग विनियम सं.जे.ई.आर. सी.–26/2019 की विनियम 5 जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, के प्रावधानों के अनुसार उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक फोरम का गठन करते हैं :

1.	श्री आर. रविचन्दर	–	अध्यक्ष
2.	श्री नारायण चन्द्र बरोई	–	सदस्य
3.	श्रीमती बिजी थॉमस	–	स्वतंत्र सदस्य

इस फोरम में सदस्यों की नियुक्ति की अन्य सभी निबंधन तथा शर्तें सहित उनका कार्यकाल, वेतन भत्ता, पद से हटाने आदि के साथ–साथ शक्तियाँ, कार्य तथा फोरम के कार्यों का निर्वहन आदि को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग समय–समय पर यथासंशोधित (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए गठित फोरम) विनियमन, 2019, के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इसके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

एडमिरल डी.के. जोशी
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अवकाश प्राप्त),
उप राज्यपाल,
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह।

उप राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ह./–
(आर. अंजनी राव)
सहायक सचिव (ऊर्जा)

MGPPB—71/Gazette/2023 — 40 Copies. (P/DTP-5)